

कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ० प्र० शासन, गाजियाबाद रीजन, एफ-6, पटेलनगर-11। गाजियाबाद ।

संख्या- 4739
सेवा में,

वि० सु० नि० (गा० बा० रीजन) एच० टी० / निरीक्षण

दिनांक- 22-12-17

M/s-Paramount Propbuild Pvt. Ltd,
Plot No.-GH-05A, Sector-01,
Gr.Noida, G.B.Nagar

विषय-

2000 के० वी० ए० X 01नं० एवं 1600 के० वी० ए० X 01नं० (33 / 0.433 के० वी०) ट्रान्सफार्मर्स के उच्च विभव एवं 250के० वी० ए० X 02नं० जनरेटिंग सेट्स के मध्यम विभव विद्युत अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण ।

प्रसंग-

आपका पत्र दिनांक-15.12.2017 द्वारा प्राप्त ट्रेजरी चालान सं० आर 104832, दिनांक-16.12.2017, रु० 44000/- राजकीय कोषागार में जमा किया गया।

प्रिय महोदय,

कृपया आपके परिसर में अधिष्ठापित निम्नलिखित विद्युत अधिष्ठापनों का प्रारम्भिक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा

दिनांक-21.12.2017 को किया गया :-

ट्रान्सफार्मर्स का विवरण :-

जनरेटिंग सेट्स का विवरण :-

मेक-	Voltmap	Voltmap	Stamford,	Stamford,
नं०-	47021/1	47010/1,	N11L518265,	N11C104251,
क्षमता-	2000 के० वी० ए०,	1600 के० वी० ए०,	250 के० वी० ए०,	250 के० वी० ए०,
वोल्टेज-	33/0.433 के० वी०,	33/0.433 के० वी०,	415 वोल्ट्स,	415 वोल्ट्स,

निरीक्षण के समय उपरोक्त विद्युत अधिष्ठापन भारतीय विद्युत नियम-1956 के सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत संतोषजनक पाये गये । अतः उक्त ट्रान्सफार्मर्स, जनरेटिंग सेट्स को प्रयोग में लाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में उपरोक्त विद्युतीय अधिष्ठापन में अनुमोदित ड्राइंग से भिन्न किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी पूर्व अनुमति इस कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा भारतीय विद्युत नियम-1956 के सम्बन्धित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना जायेगा ।

भवदीय

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

उपनिदेशक
विद्युत सुरक्षा उ० प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद

सं० वि० सु० नि० (गा० बा० रीजन) एच० टी० / निरीक्षण तद दिनांक-

उपरोक्त की प्रतिलिपि सिनियर मैनेजर, सर्वश्री नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा जिला-गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

उपनिदेशक
विद्युत सुरक्षा उ० प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद

सं० वि० सु० नि० (गा० बा० रीजन) एच० टी० / निरीक्षण तद दिनांक-

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1.
- 2.

सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ० प्र० शासन, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद ।
निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ० प्र० शासन, लखनऊ की सेवा में ।

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

उपनिदेशक
विद्युत सुरक्षा उ० प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद

कार्यालय निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, विभूति खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या:
सेवा में,

2109

मु0/ई0/एच0टी0/झाड़ंग-अनुमोदन/2017-18,

दिनांक:

19-12-17

सर्वश्री पैरामाउण्ट प्रोबिल्ट प्रा० लि०
प्लाट नं०-जी.एच.-05 ए.,
सेक्टर-01, ग्रेटर नोएडा,
जिला-गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)।

विषय : 33/0.433 के०वी० 2000 के०वी०ए० X 01 नं० ट्रॉन्सफारमर एवं 33/0.433 के०वी० 1600 के०वी०ए० X 01 नं० ट्रॉन्सफारमर सब-स्टेशन के विद्युतीय अधिष्ठापन से सम्बन्धित झाड़ंग्स का अनुमोदन।

प्रसंग : आपका पत्रांक शून्य, दिनांक 15.12.2017

प्रिय महोदय,

कृपया प्रासंगिक पत्र के साथ आपसे प्राप्त निम्नांकित एच०टी० झाड़ंग का अनुमोदन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कर दिया गया है। उसकी एक प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

(1) ले आउट प्लान आफ 33/0.433 के०वी० 2000 के०वी०ए० X 01 नं० ट्रॉन्सफारमर एवं 33/0.433 के०वी० 1600 के०वी०ए० X 01 नं० ट्रॉन्सफारमर सब-स्टेशन के विद्युतीय अधिष्ठापन से सम्बन्धित झाड़ंग्स का अनुमोदन।

कृपया आप अपना अधिष्ठापन उपरोक्त अनुमोदित एच०टी० झाड़ंग के अनुसार अधिष्ठापित करें, और सभी शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् इसका निरीक्षण उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद से करवायें तथा उनसे लिखित अनुमोदन प्राप्त होने पर ही अपना अधिष्ठापन जीवन्त करायें।
संलग्नक : 02 नं० झाड़ंग।

भवदीय,
(गिरीश कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक

संख्या: मु0/ई0/एच0टी0/झाड़ंग-अनुमोदन/2017-18, तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि सीनियर मैनेजर, नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड, सेक्टर-अल्फा-1, ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम-63 के अनुसार किसी भी उच्च विभव अधिष्ठापन को इस निदेशालय से लिखित अनुमति प्राप्त होने के बाद ही सजीव किया जा सकता है। अतः उच्च विभव अधिष्ठापन को उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद से लिखित अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही सजीव करने का कष्ट करें।

(गिरीश कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक

संख्या: मु0/ई0/एच0टी0/झाड़ंग-अनुमोदन/2017-18, तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद को अनुमोदित झाड़ंग की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि निरीक्षण से संबंधित कागजात् प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित समय-सीमा के अन्दर निरीक्षण करने का कष्ट करें। निरीक्षण रिपोर्ट उपभोक्ताओं को भेजते समय ही उसकी प्रति प्रधान कार्यालय को अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित की जाये।
संलग्नक : 02 नं० झाड़ंग।

(गिरीश कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक

संख्या: मु0/ई0/एच0टी0/झाड़ंग-अनुमोदन/2017-18, तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ को अनुमोदित झाड़ंग की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक : 02 नं० झाड़ंग।

(गिरीश कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक